

5390

बिहार सरकार 5390
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
बिहार, पटना

मो० फैय्याज अहमद, निरीक्षक मद्यनिषेध, ग्रुप सेंटर, भागलपुर के शेरघाटी थाना, गया पदस्थापन अवधि के दौरान अवैध शराब कारोबारियों से वाहन चालक के माध्यम से अवैध राशि की वसूली करने, एफ०आई०आर० दर्ज नहीं करने आदि के मामले में वायरल विडियो के आलोक में तत्कालीन उप सचिव के पत्रांक-3359 दिनांक 26.06.2023 द्वारा निलंबित करते हुए आरोप पत्र गठित करने का निर्णय लिया गया। निलंबन के उपरांत उक्त दंडादेश में दिनांक 27.06.2023 को तत्कालीन सचिव, मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की गई।

2. गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-4137 दिनांक 04.08.2023 द्वारा मो० अहमद से बचाव बयान की मांग की गई। प्राप्त बचाव बयान के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं०-554 दिनांक 01.02.2024 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश से मो० अहमद के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया जिसमें तत्कालीन संयुक्त सचिव, मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं अवर सचिव, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-157 दिनांक 21.02.2024 द्वारा मो० अहमद के विरुद्ध जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि मो० फैय्याज अहमद का अपने कर्मियों के उपर प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव का आरोप प्रमाणित होता है।

4. प्रमाणित आरोप के आलोक में आरोपी पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक-1409 दिनांक 28.03.2024 द्वारा बचाव बयान समर्पित करने का निदेश दिया गया। मो० अहमद द्वारा समर्पित बचाव बयान के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश सं०-4038 दिनांक 30.09.2024 द्वारा संचयी प्रभाव से 02 वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित किया गया। उक्त दंडादेश के विरुद्ध मो० फैय्याज अहमद, निरीक्षक मद्यनिषेध द्वारा सचिव-सह-अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया गया। दायर अपीलवाद में सुनवाई के उपरांत अपीलीय प्राधिकार के आदेश से विभागीय आदेश सं०-4718 दिनांक 18.08.2025 द्वारा अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करते हुए आयुक्त उत्पाद द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई।

5. मो० अहमद द्वारा उक्त दंडादेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका सी०डब्लू०जे०सी० सं०-253/2025 दायर किया गया। उक्त याचिका में दिनांक 30.06.2026 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा न्यायादेश पारित किया गया। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

" 20. This court is also surprised that, though a finding regarding failure of administrative control over the driver has been recorded, no such allegation is contained in the charge-memo. Therefore, even on merits, the finding recorded by the Enquiry officer is not based on any allegation levelled in the charge Memo. On this

ground also, this court is not in agreement with the decision of the disciplinary Authority and the Appellate authority. It further transpires to this court that the petitioner has raised these points before the Disciplinary authority As well as the Appellate Authority, However, from both the order, it transpires that none of the said points have been discussed or considered by them,

21- After observing the aforesaid findings, counsel for the state raised a further submission that Annexure-P/4 clearly indicates that the decision was taken after obtaining sanction from the competent authority.

22- In this regard, the relevant portions of order dated 26-06-2023 contained in Memo no 3359 and letter dated 15-04-2024

23- Upon perusal of the report, it transpires to this Court that on the date and time when Memo no. 3359 dated 26-06-2023 was issued by the Deputy secretary, no sanction had been granted by the competent authority.

24- The order dated 30-09-2024 contained in Memo No. 4038 passed by the Deputy commissioner, Prohibition, Bihar patna, order dated 02-12-2024 contained in Memo 4999 passed by the deputy commissioner, Prohibition, Bihar patna and order dated 18-08-2025 contained in Memo no 4718 passed by the Deputy secretary to Government of bihar, patna are hereby set aside. The respondents are directed to make the entire payment due to the petitioner within three months from the date of production of a copy of this order."

6. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 30.06.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में सम्यक विचारोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा मो0 फैय्याज अहमद, निरीक्षक मद्यनिषेध के विरुद्ध निर्गत दंडादेश सं0-4038 दिनांक 30.09.2024 एवं निलंबन आदेश सं0-3359 दिनांक 26.06.2023 को रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

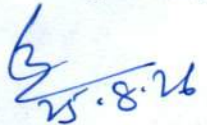
तदालोक में मो0 फैय्याज अहमद, निरीक्षक मद्यनिषेध, गुप सेंटर भागलपुर के विरुद्ध अधिरोपित निलंबनादेश एवं शास्ति आदेश को रद्द किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।
दिनांक- 27.08.26

ज्ञापांक- 8/अरा0 उत्पाद आरोप-26/2023 5390

प्रतिलिपि-संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बी0एस0बी0सी0एल0, पटना/उपायुक्त मद्यनिषेध, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर/सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, भागलपुर/सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, गया/प्रभारी पदाधिकारी, गुप सेंटर, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/मो0 फैय्याज अहमद, निरीक्षक मद्यनिषेध, गुप सेंटर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।